न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर

पीठासीन अधिकारी :—श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 55/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/139

अपीलान्ट

1. तीजोदेवी पुत्री मंगनाराम पत्नी बिडदाराम निवासी ढाढणिया बरडा तहसील बालेसर जिला जोधपुर हाल निवासी मा सतीनगर तहसील सेखाला जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. प्रहलादराम पुत्र मंगनाराम फौत कायम मुकाम
   1/1 मूली पत्नी प्रहलादराम
   1/2 मुन्नाराम पुत्र प्रहलादराम
2. चन्द्राराम पुत्र प्रहलादराम फौत कायम मुकाम
   2/1 श्याम पुत्र चन्द्राराम
   2/2 पारूदेवी पत्नी चन्द्राराम
3. लुम्बाराम पुत्र मंगनाराम फौत
   3/1 चौथाराम पुत्र लुम्बाराम
   3/2 देवाराम पुत्र लुम्बाराम
   3/3 खरताराम पुत्र लुम्बाराम
4. करनाराम पुत्र मंगनाराम
5. बैनाराम पुत्र मंगनाराम फौत कायम मुकाम
   5/1 कमा पुत्री बैनाराम
   5/2 तारो पत्नी बैनाराम
6. चैनाराम पुत्र मंगनाराम
7. रूकमादेवी पत्नी मंगनाराम समस्त निवासी ढाढणिया बरडा तहसील बालेसर
8. सरपंच ग्राम पंचायत ढाढणिया सांसण तहसील बालेसर जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत ढाढणिया सांसण नामान्तरकरण संख्या 50 दिनांक शुन्य के विरूद्व अपील

अधिवक्तागण :—

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री लुम्बाराम चौधरी।
2. रेस्पोडेन्टगण 1 से 8 अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.18 12:22:28 IST
Reason: SelfAttested

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 24/12/24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा एक रेफ्रेन्स अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है—

अपीलान्ट की पुस्तैनी पैतृक कृषि भूमि ढाढणिया बरडा पटवार हल्का ढाढणिया तहसील बालेसर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 26/6, 30/1, 59/1, 77/2 स्थित है। उक्त भूमि मंगनाराम पुत्र उर्जाराम के नाम खातेदारी मे दर्ज थी जो भूमि अपीलान्ट के पिता स्व. मंगनाराम

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

का स्वर्गवास होने के बाद अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 50 ग्राम पंचायत ढाढणिया सांसण पंचायत समिति बालेसर द्वारा विधि विरूद्व तरीके स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट मृतक मंगलाराम की पुत्री है तथा प्रथम श्रेणी की वारिसान है। पुत्री के सम्बन्ध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की जॉच नही की गई। स्व. मंगनाराम की अन्य भूमि ग्राम गोकलनगर पटवार हल्का उदयसर मे स्थित है जिसके खसरा नम्बर 33, 34, 36, 40 है जिसमे अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तकरण को अपास्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अपील के साथ अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि अपीलान्ट अनपढ महिला है अपीलान्ट को यह जानकारी थी की भाईयो के साथ अपीलान्ट का नाम भी दर्ज हो गया है परन्तु दर्ज नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकण की नकल दिनांक 12.05.2023 को प्राप्त होने के बाद उक्त अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। दिनांक 12.05.2023 को जानकारी होने पर उक्त अपील को अन्दर म्याद सुमार करवाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगणों को नोटिस जारी किया गया। रजिस्टर ए.डी की रसीदे शामिल मिसल है। रेस्पोडेन्टगण को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु अवसर दिये जाने के बावजुद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में बहस की गई। बहस सूनी गई। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। हमने उक्त पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के संलग्न धारा 05 म्याद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका अवलोकन किया गया। जिसमें अपीलान्ट द्वारा यह अंकित किया गया है कि अपीलान्ट को राजस्व रेकर्ड की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.05.2023 को हुई। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के आधार पर अपीलान्ट का धारा 05 म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और उक्त अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि स्व. मंगनाराम के विधिक वारीसों की बिना जॉच किये अपीलाधीन नामान्तकरण पारित किया गया है। अपीलान्ट नामान्तकरण मे स्व. मंगनाराम की पुत्री का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिऐ था। अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत) द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 20.10.2008 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के मध्यनजर विधि विपरित होने के कारण न्यायसंगत प्रतीत नही होता है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है।

अतः अपील अपीलान्टगण की स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ढाढणिया सांसण द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण 50 दिनांक शुन्य मौजा ढाढणिया बरडा को अपास्त किया जाकर तहसीलदार बालेसर को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वो इस प्रकरण में मंगनाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसो की जांच करते हुए पुनः नामान्तरकरण भरने की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति तहसीलदार बालेसर को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 24/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.18 12:22:28 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
पीठासीन अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर